



प्रेषक,

अवनीन्द्र कुमार,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

खाद्य एवं रसद विभाग,

जवाहर भवन, लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च, 2026

विषय:- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क एलपीजी सिलेण्डर रिफिल वितरित किये जाने के संबंध में अग्रिम धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-ले0शा0/2350/162/3456-सिविल पूर्ति/2025-26, दिनांक 18-03-2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की निःशुल्क एलपीजी सिलेण्डर रिफिल वितरित किये जाने के संबंध में अग्रिम धनराशि की स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेण्डर वितरित किये जाने के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्षक "3456-सिविल पूर्ति-102-सिविल पूर्ति योजना-03-निःशुल्क खाद्यान्न, साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक एवं रिफाइन्ड सोयाबीन ऑयल एवं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का निःशुल्क एलपीजी सिलेण्डर रिफिल-42-अन्य व्यय " में धनराशि ₹0 150000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष शासन द्वारा धनराशि ₹0 103901.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त प्राविधानित धनराशि में से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को द्वितीय चरण में निःशुल्क एलपीजी सिलेण्डर रिफिल वितरित किये जाने हेतु अपर आयुक्त (आपूर्ति) के पत्र दिनांक 17-03-2026 द्वारा प्रस्तुत मांग के आधार पर एवं मुख्यालय स्तर पर गठित समिति की संस्तुति के आधार पर धनराशि ₹0 19321.00 लाख (एक अरब तिरानवे करोड इक्कीस मात्र) के अग्रिम आहरण की अनुमति के साथ आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल एतद्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

- (1) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.19 संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10 जून, 2011 एवं संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1)/69, दिनांक 18.09. 2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
- (2) वित्तीय नियम सग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।
- (3) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
 - (5) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
 - (6) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
 - (7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
 - (8) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्वािावृत्ति नहीं हो रही है।
 - (9) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (10) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
 - (11) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग प्रथमतः उन लाभार्थियों को लक्षित करना चाहेंगे, जिनके डाटा आधार प्रमाणित हैं। तीनों ऑयल कम्पनियों से संबंधित ए0सी0टी0सी0 डाटा से प्रमाणित डेटा के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित करायेंगे।
 - (12) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग गत वित्तीय वर्ष में प्रश्नगत योजना के अंतर्गत ऑयल कम्पनियों को कुल भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष, यदि ऑयल कम्पनियों के खाते में कोई धनराशि अवशेष हो, का भी उपयोग/समायोजन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,93,21,00,000 (रुपये एक अरब तिरानवे करोड़ इक्कीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 021 लेखाशीर्षक 3456001020300 निःशुल्क खाद्यान्न, साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक एवं रिफाइन सोयबीन ऑयल एवं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क एल.पी.जी. सिलेण्डर रिफिल मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7 के अ0शा0 संख्या-ई-7-290-दस-2025-26, दिनांक 25-03-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

अवनीन्द्र कुमार
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
- 3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यधनिष्ठान भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
- 4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- आहरण एवं वितरण अधिकारी लेखा, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 7- वित्त (व्यवय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

अवनीन्द्र कुमार
अनु सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।